

कार्यालय-मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./3क(2)/

68

/30 प्रति. पदोन्नति/2016-17/दिनांक

07/05/16


विज्ञापित/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 मती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवाए-2/19739-40/30 प्रतिशत पदो/2015-16 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 एवं पत्रांक/सेवाए-2/556-57/30 प्रतिशत पदो/2016-17 दिनांक 08 अप्रैल, 2016 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्रा0शि0, सहायक अध्यापक रा0उ0प्रा0शि0 एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं को काउन्सिलिंग के माध्यम से उनके द्वारा प्रस्तुत अनुबन्ध पत्र एवं विकल्पित/वांछित विद्यालय में सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैंड 9300-34800, ग्रेड वेतन 4600) में उनके नाम के सम्मुख रतम्ब संख्या-08 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा मती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुये पदोन्नत/पदस्थापित किया जाता है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को आगामी 03 वर्ष तक पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी। यह पदोन्नति मा. न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या: 1756/एस.एस./2015 श्रीमती कुसुम पवार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय के अधीन रहेगी।

विषय-अंग्रेजी

शाखा-सामान्य

क्र. सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	शिक्षण खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	V क्षेत्र का सेवा गुणांक	पदोन्नत/पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीमती कुसुम पवार रा0उ0	रा0क0उ0प्रा0शि0 उपरीकोट	डुण्डा	उत्तरकाशी	11-03-1992	10.348	रा.उ.मा.वि. भरतगवाव (डुण्डा) उत्तरकाशी	अनुबन्ध के आधार पर


(राजकुमार दुनियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पु.सं./सेवा.अराज./3क(2)/ 1889-1905 /30 प्रति. पदोन्नति/2016-17/दिनांक उक्तान्तित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. रजिस्ट्रार, मा. उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
2. मुख्य स्थायी अधिकारता, मा. उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
8. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)
9. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (बैरिक) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर भी उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापिका का पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उपशिक्षा अधिकारी को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।
10. सम्बन्धित बरिष्ठ कोषाधिकारी।
11. सम्बन्धित विल एवं लेखाधिकारी।
12. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)।
13. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत अध्यापिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों का मती-भाति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तत्पश्चात सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त निम्न तथ्यों को भी पुष्टि कर ले-
(क) सम्बन्धित शिक्षक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
(ख) प्रथम नियुक्ति तिथि (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून, 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान: 9300-34800, ग्रेड वेतन: 4600 में कार्यरत हो।
(ग) शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।

(घ) पदोन्नत अध्यापिका को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा एन. सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तमी देय होगी जब वे ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त कर लें, किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अभ्यर्थी के लिये ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

14. सम्बन्धित अध्यापिका को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापिका द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षिका अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक, प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छाया प्रतियों सहित) प्रस्तुत करेंगे।

15. कार्यालय आदेश पंजीका।


(समकृष्ण उनियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पीडी

कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./3क(2)/

70

/30 प्रति. पदोन्नति/2016-17/दिनांक

07/05/16

विज्ञापि/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 भर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवाए-2/19739-40/30 प्रतिशत पदो/2016-16 दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 एवं पत्रांक/सेवाए-2/556-57/30 प्रतिशत पदो/2016-17 दिनांक 08 अप्रैल, 2016 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्रा0वि0, सहायक अध्यापक रा0उ0प्रा0वि0 एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं को काउन्सिलिंग के माध्यम से उनके द्वारा प्रस्तुत अनुबन्ध पत्र एवं विकल्पित/याचित विद्यालय में सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैंड: 9300-34800, ग्रेड वेतन: 4600) में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या-08 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुये पदोन्नत/पदस्थापित किया जाता है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को आगामी 03 वर्ष तक पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी। यह पदोन्नति मा. उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड (नैनीताल) में योजित रिट याचिका संख्या: 590/एस.एस./2016/श्रीमती उर्मिला डिमरी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय के अधीन रहेगी।

विषय:-विज्ञान

शाखा:-सामान्य

क्र. सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y क्षेत्र का सेवा मुण्डांक	पदोन्नत/पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीमती उर्मिला डिमरी रा0उ0	रा0क0उ0प्रा0वि0 सुनील	जोशीमठ	धर्मोली	08-09-1995	10.105	रा.उ.मा.वि. कंदारवाला (विकासनगर) देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(रामकृष्ण उर्मियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पु.सं./सेवा.अराज./3क(2)/

1931-55

/30 प्रति. पदोन्नति/2016-17/दिनांक उक्तार्कित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
8. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)
9. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (बैरिक) को इस अशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट (www.schoolseducation.uk.gov.in) पर भी उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उपशिक्षा अधिकारियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।
10. सम्बन्धित करिष्ठ कौषाधिकारी।
11. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
12. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)।
13. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस अशय से प्रेषित कि पदोन्नत अध्यापिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों का भली-भांति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तत्पश्चात सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त निम्न तथ्यों की भी पुष्टि कर ले-

(क) सम्बन्धित शिक्षक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।


(ख) प्रथम नियुक्ति तिथि (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून, 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान: 9300-34800, ग्रेड वेतन: 4600 में कार्यरत हों।

(ग) शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।

(घ) पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब वे ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त कर लें, किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अभ्यर्थी के लिये ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

14. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर्गत अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक, प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छाया प्रतियों सहित) प्रस्तुत करेंगे।

15. कार्यालय आदेश पत्रिका।


रामकृष्ण चनियाल
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./3क(2)/

69

/30 प्रति. पदोन्नति/2016-17/दिनांक

07/05/16

विज्ञापित/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 भर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवाए-2/19739-40/30 प्रतिशत पदो/2015-16 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 एवं पत्रांक/सेवाए-2/558-57/30 प्रतिशत पदो/2016-17 दिनांक 08 अप्रैल, 2016 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्रा0वि0, सहायक अध्यापक रा0उ0प्रा0वि0 एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में सगान वेतनक्रम में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं को काउन्सिलिंग के माध्यम से उनके द्वारा प्रस्तुत अनुबन्ध पत्र एवं विकल्पित/याचित विद्यालय में सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैंड: 9300-34800, ग्रेड वेतन: 4600) में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या-08 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुभूयता को अस्वीकार करते हुये पदोन्नत/पदस्थापित किया जाता है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को आगामी 03 वर्ष तक पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी। यह पदोन्नति मा. उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड (नैनीताल) में दायित रिट याचिका संख्या: 645/एस.एस./2016/श्रीमती सरोजनी रावत बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय के अधीन रहेगी।

विषय:-विज्ञान

शाखा-महिला

क्र. सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y क्षेत्र का सेवा मुष्ठांक	पदोन्नत/पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीमती सरोजनी रावत स0अ0	रा0क0पू0गा0वि0 कयार्द	पाबो	पौड़ी	01-01-1996	18.213	रा.क.इ.का. रानीपोखरी (डोईवाला) देहरादून	उपलब्ध रिजल्ट पद के प्रति

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 (सिन्धु) 7/5/16
 मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)
 गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पु.सं./सेवा.अराज./3क(2)/

1906-30

/30 प्रति. पदोन्नति/2016-17/दिनांक उक्तकित।

प्रतिनिधि:- निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
8. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)
9. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (बैसिक) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर भी उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उपशिक्षा अधिकारियों को हरतगत करना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।
10. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
11. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
12. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)।
13. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापिका को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत अध्यापिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके शोध सम्बन्धी समस्त अनिलेखों का भली-भांति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तत्पश्चात सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण करना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त निम्न तथ्यों की भी पुष्टि कर ले-
 (क) सम्बन्धित शिक्षक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
 (ख) प्रथम नियुक्ति तिथि (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून, 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान: 9300-34800, ग्रेड वेतन: 4600 में कार्यरत हों।
 (ग) शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।

(घ) पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रसिद्धित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात तीन वर्षों में प्राप्ति नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब ये ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त कर लें, किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अन्वर्थी के लिये ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

14. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक, प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छाया प्रतियाँ सहित) प्रस्तुत करेंगे।

15. कार्यालय आदेश पंजीयन।



(राष्ट्रकृष्ण उनियाल)

मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी

कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./3क(2)/

71

/30 प्रति. पदोन्नति/2016-17/दिनांक

विज्ञप्ति/पदोन्नति

04/05/16

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 बर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवाए-2/19739-40/30 प्रतिशत पदो/2015-16 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 एवं पत्रांक/सेवाए-2/556-57/30 प्रतिशत पदो/2016-17 दिनांक 08 अप्रैल, 2016 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्रा0वि0, सहायक अध्यापक रा0उ0प्रा0वि0 एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं को काउन्सिलिंग के माध्यम से उनके द्वारा प्रस्तुत अनुसूची पत्र एवं विकल्पित/घातित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा बर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुये पदोन्नत/पदस्थापित किया जाता है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को आगामी 03 वर्ष तक पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी। यह नियुक्ति मा. उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड (नैनीताल) में योजित रिट याचिका संख्या: 846/एस.एस./2016/श्री गुरु प्रसाद सती बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय के अधीन रहेगी।

विषय:-विज्ञान

शाखा:-सामान्य

क्र. सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y क्षेत्र का सेवा गुणांक	पदोन्नत/पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री गुरु प्रसाद सती रा0उ0	रा0उ0प्रा0वि0 लूना	अगस्त्यमुनि	रूद्रप्रयाग	13-09-1995	4.697	रा.इ.का. काण्डई दशाज्युला (अगस्त्यमुनि) रूद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(रामकृष्ण उनियाल)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पू.सं./सेवा.अराज./3क(2)/

1356-70

/30 प्रति. पदोन्नति/2016-17/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड धारान, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
8. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)
9. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (बैसिक) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर भी उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उपशिक्षा अधिकारियों को इतरगत कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।
10. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
11. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
12. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी (प्र.शि.)।
13. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत अध्यापिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों का भली-भांति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तत्पश्चात् सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त निम्न तथ्यों की भी पुष्टि कर ले:-

(क) सम्बन्धित शिक्षक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।

(ख) प्रथम नियुक्ति तिथि (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून, 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान: 9300-34800, ग्रेड वेतन: 4600 में कार्यरत हो।

(ग) शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।

(घ) पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षा सात्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात तीन वर्षों में प्राप्ति नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब वे ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त कर लें, किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अभ्यर्थी के लिये ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

14. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ सत्यरत्न समस्त शैक्षणिक, प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छाया प्रतियों सहित) प्रस्तुत करेंगे।

15. कार्यालय आदेश पत्रिका।


(रामकृष्ण उनियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पीडी